भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 456
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी से संबंधित मुद्दे

456. श्री राजीव रायः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत विगत पाँच वर्षों के दौरान रोजगार प्रदान किए गए श्रमिकों का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान मनरेगा के अंतर्गत निधियों में लगातार कमी की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विगत पाँच वर्षों के दौरान एक माह से अधिक विलंब से मजदूरी का भुगतान प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या एवं ब्यौरा राज्य-वार एवं वर्ष-वार क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन प्रदान की जाने वाली दैनिक मजदूरी की राज्य -वार केंद्रीय हिस्सेदारी कितनी है; और

(च) विगत पाँच वर्षों के दौरान इस संबंध में वर्षवार बढ़ी हुई दैनिक मजदूरी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों का राज्यवार और वर्षवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग) महात्मा गांधी नरेगा एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है , और केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर काम की माँग के अनुसार योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए बजट आवंटन के संबंध में , यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹86,000 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है , जो कि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक बजट अनुमान (बीई) स्तर पर इस योजना के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, सरकार ने ग्रामीण रोज़गार के लिए निरंतर समर्थन सुनिश्चित करते हुए इस आवंटन को ₹86,000 करोड़ पर बनाए रखा है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि योजना की माँग-आधारित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए , ग्रामीण विकास मंत्रालय ज़मीनी स्तर पर रोज़गार की माँग की कड़ी निगरानी करता है और आवश्यकता पड़ने पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त निधियों की माँग करता है।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत , लगातार 96% से अधिक निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर जारी किए गए हैं। यह योजना एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है , जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के माध्यम से मजदूरी भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाता है। राज्यों से प्राप्त निधि अंतरण आदेश के आधार पर , उचित प्रक्रियाओं के बाद मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से मजदूरी भुगतान के लिए प्रतिदिन स्वीकृति जारी की जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में , पिछले वर्ष की स्वीकार्य लंबित देनदारियों, यदि कोई हो , की उचित प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। तदनुसार , वित्त वर्ष 2024-25 तक की सभी लंबित मजदूरी देनदारियों का पहले ही भुगतान कर दिया गया है।

(ड.) और (च) महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत , 100% मजदूरी का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा डीबीटी मोड के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में किया जाता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) , 2005 की धारा 6(1) के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अपने लाभार्थियों के लिए अकुशल कार्य हेतु मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार , ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को मुद्रास्फीति की प्रतिपूर्ति हेतु , ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एल) में परिवर्तन के आधार पर प्रति वर्ष मजदूरी दर में संशोधन करता है। यह मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से लागू होती है।

मजदूरी दर गणना की वर्तमान पद्धति का उपयोग करते हुए , केंद्र सरकार ने मजदूरी दर अधिसूचित की है और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें लगभग 5% (औसत) और पिछले 5 वर्षों में लगभग 29% (औसत) की वृद्धि हुई है। हालाँकि, राज्य सरकारें अपने स्रोतों से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकती हैं।

वर्तमान में, तीन राज्य अर्थात झारखंड , हिमाचल प्रदेश और ओडिशा , केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर के अधिक टॉप-अप सहायता प्रदान कर रहे हैं।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अधिसूचित मजदूरी दरें **अनुबंध-II** में दी गई हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 456 के भाग (क) के उत्तर में उललिखित अनुबंध-I

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों का राज्यवार एवं वर्षवार विवरण। (आंकड़े करोड़ में)					
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वि.व. 2024-25**	**वि.व. 2023-24**	**वि.व. 2022-23**	**वि.व. 2021-22**	**वि.व. 2020-21**
आंध्र प्रदेश	0.75	0.75	0.76	0.77	0.80
अरुणाचल प्रदेश	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
असम	0.26	0.33	0.34	0.40	0.36
बिहार	0.56	0.54	0.58	0.54	0.58
छत्तीसगढ़	0.45	0.44	0.47	0.55	0.60
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	0.13	0.15	0.16	0.18	0.19
हरियाणा	0.05	0.05	0.04	0.06	0.07
हिमाचल प्रदेश	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09
जम्मू और कश्मीर	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11
झारखंड	0.23	0.26	0.25	0.31	0.32
कर्नाटक	0.52	0.54	0.53	0.64	0.57
केरल	0.15	0.17	0.18	0.19	0.19
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0.58	0.64	0.76	0.96	1.05

महाराष्ट्र	0.51	0.41	0.37	0.37	0.31
मणिपुर	0.06	0.05	0.04	0.06	0.06
मेघालय	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08
मिजोरम	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
नागालैंड	0.02	0.05	0.05	0.05	0.04
ओडिशा	0.34	0.50	0.52	0.56	0.62
पंजाब	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12
राजस्थान	0.77	0.87	0.88	1.01	1.11
सिक्किम	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
तमिलनाडु	0.74	0.79	0.76	0.80	0.79
तेलंगाना	0.42	0.41	0.45	0.49	0.54
त्रिपुरा	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08
उत्तर प्रदेश	0.76	0.81	0.84	0.95	1.16
उत्तराखंड	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.20	1.11	1.18
अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पुदुचेरी	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
कुल	7.88	8.34	8.75	10.61	11.17

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 456 के भाग (ड.) और (च) के उत्तर में उललिखित अनुबंधII

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अधिसूचित मजदूरी दरें **(रुपए में)**

क्र.सं	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**-2023 24**	**2024-25**
1	आंध्र प्रदेश	237	245	257	272	300
2	अरुणाचल प्रदेश	205	212	216	224	234
3	असम	213	224	229	238	249
4	बिहार	194	198	210	228	245
5	छत्तीसगढ	190	193	204	221	243
6	गोवा	280	294	315	322	356
7	गुजरात	224	229	239	256	280
8	हरियाणा	309	315	331	357	374
9	हिमाचल प्रदेश गैर-अनुसूचित क्षेत्र	198	203	212	224	236
9क	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र	248	254	266	280	295
10	जम्मू और कश्मीर	204	214	227	244	259
11	लद्दाख	204	214	227	244	259
12	झारखंड	194	198	210	228	245
13	कर्नाटक	275	289	309	316	349
14	केरल	291	291	311	333	346
15	मध्य प्रदेश	190	193	204	221	243
16	महाराष्ट्र	238	248	256	273	297
17	मणिपुर	238	251	251	260	272
18	मेघालय	203	226	230	238	254

19	मिजोरम	225	233	233	249	266
20	नागालैंड	205	212	216	224	234
21	ओडिशा	207	215	222	237	254
22	पंजाब	263	269	282	303	322
23	राजस्थान	220	221	231	255	266
24	सिक्किम	205	212	222	236	249
24 (क)	सिक्किम (तीन ग्राम पंचायतों के नाम) ज्ञानथांग, लाचुंग और लाचेन)	308	318	333	354	374
25	तमिलनाडु	256	273	281	294	319
26	तेलंगाना	237	245	257	272	300
27	त्रिपुरा	205	212	212	226	242
28	उत्तर प्रदेश	201	204	213	230	237
29	उत्तराखंड	201	204	213	230	237
30	पश्चिम बंगाल	204	213	223	237	250
31	अंडमान	267	279	292	311	329
31(क)	निकोबार	282	294	308	328	347
32	दादरा और नगर हवेली	258	269	278	297	324
33	दमन और दीव	227				
34	दादर नगर हवेली	266	266	284	304	315
35	पुदुचेरी	256	273	281	294	319

*****